

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग-1)

क्रमांक: एफ 7(4)ग्रावि/ग्रुप-1/रा.का. 00019/2017


जयपुर, दिनांक 13 AUG 2018

—: आदेश :—

राज्य के समस्त जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न संवर्गों के पदों पर विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी/कर्मचारी पदस्थापित हैं, जिनका स्थानान्तरण समय-समय पर अन्य विभागों में होता रहता है ।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) ऐसे प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को इनकी सेवा निवृत्ति से 3 माह पूर्व आवश्यक रूप से इन्हें सम्बन्धित पैतृक विभाग को कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करेगे । इन निर्देशों की कठोरता से पालना की जावे ।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।


(हरि मोहन मीना)
संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज. राज. जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज. राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
6. आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राज. जयपुर ।
7. जिला कलक्टर, (समस्त) राजस्थान ।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) समस्त, राज. को पालनार्थ ।
9. संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर ।
10. संयुक्त शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राज. जयपुर ।
11. प्रोग्रामर, ग्रा.वि. राज. जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।


(राजेश कुमार शर्मा)
परियोजना अधिकारी(प्रशासन)